क्रम संख्या–244

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 01 अक्टूबर, 2013 ई0

आश्विन 09, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 350 / XXXVI(3) / 2013 / 62(1) / 2013

देहरादून, 01 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013"** पर दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 33 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 33 वर्ष 2013)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का त्वरित विकास सुनिश्चित करने, समानता प्राप्ति पर विशेष बल प्रदान करने, आर्थिक, शैक्षिक और मानव विकास को केन्द्रित करने के साथ सुरक्षा और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करने तथा उत्तराखण्ड राज्य के सम्पूर्ण योजना परिव्यय में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना परिव्यय का निर्धारण करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मध्य समानता को प्रोत्साहित करने और इनके क्रियान्वयन तथा सम्बन्धित अथवा आनुषांगिक विषयों हेतु प्रभावी संस्थागत प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:–

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,:–

(क) "**राज्य**" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ख) "**राज्य सरकार**" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "**राज्य समिति**" से समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति अभिप्रेत है;

(घ) "**नोडल विभाग**" से उत्तराखण्ड राज्य का समाज कल्याण विभाग अभिप्रेत है;

(च) "**अनुसूचित जाति**" तथा "**अनुसूचित जनजाति**" से '**भारत का संविधान**'

में निर्दिष्ट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभिप्रेत है;

(छ) **"अनुसूचित जाति उप योजना"** से अनुसूचित जातियों के विकास में पिछड़ेपन को दूर करने हेतु वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्ताव अभिप्रेत है;

(झ) **"जनजाति उप योजना"** से अनुसूचित जनजातियों के विकास में पिछड़ेपन को दूर करने हेतु वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के लिए राज्य समिति के द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्ताव अभिप्रेत है;

(ञ) **"अनुसूचित जाति उप योजना परिव्यय/जनजाति उप योजना परिव्यय"** से राज्य योजना राशि का वह अंश अभिप्रेत है, जो धारा 3 में निर्धारित की गयी है;

(ट) **"अनुसूचित जाति उप योजना/जनजाति उप योजना की योजना"** से विभागों द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना में सम्मिलित की गई योजनाएं अभिप्रेत है;

(ठ) **"सामान्य योजना"** से विभागों द्वारा वार्षिक योजना में सम्मिलित की गयी योजना अभिप्रेत है, जिससे समस्त जनसंख्या समूह जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी सम्मिलित है, लाभान्वित होती है;

(ड) **"विभाग"** से ऐसा विभाग अभिप्रेत है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित करता है;

(ढ) **"विकास में विषमता"** से विकास के सूचकांकों में राज्य के औसत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मध्य व्याप्त अन्तर अभिप्रेत है;

(ण) **"उप योजना"** से अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना अभिप्रेत है;

(त) **"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (ग्राम/बस्ती/रिहाईश)"** से ऐसे ग्राम/बस्ती/रिहाईश अभिप्रेत है, जहां पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या के चालीस प्रतिशत से कम न हो;

(थ) **"अधिसूचना"** से उत्तराखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

अध्याय दो

अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के अन्तर्गत योजनाओं एवं वित्तीय संसाधनों का निर्धारण

राज्य योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना परिव्यय का निर्धारण

3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य योजना की एक निश्चित राशि, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के समानुपातिक हो, अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के लिए निर्धारित की जायेगी। परिव्यय की राशि का निर्धारण आगामी वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व किया जायेगा। वार्षिक राज्य योजना के आकार में परिवर्तन होने पर अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना परिव्यय को तदनुसार संशोधित किया जायेगा। अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि का लेखा–जोखा पृथक से रखा जायेगा।

उप योजना परिव्यय निर्धारण की सूचना

4. राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत नोडल विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्य विभागों को प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना हेतु निर्धारित परिव्यय में से अनन्तिम परिव्यय का आवंटन विभागीय अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना गठित करने हेतु किया जायेगा।

अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना अन्तर्गत सम्मिलित योजनाऐं

5. विभागीय अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना में ऐसी योजनाऐं सम्मिलित की जायेंगी जिनका प्रत्यक्ष एवं परिमाणक लाभ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवार, बस्ती या जनजाति अधिसूचित क्षेत्र को प्राप्त होगा तथा इनके क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप विकास की विषमता दूर हो सके। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम/अनुसूचित जाति बस्ती/तोक/ मजरा /वार्ड, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम/अनुसूचित जनजाति बस्ती/ तोक/मजरा/वार्ड केन्द्रित क्षेत्रीय विकास की योजनाओं को अनुसूचित जाति उप योजना/जनजाति उप योजना में सम्मिलित किया जायेगा :

परन्तु यह कि योजनाओं का चयन एवं गठन राज्य नियोजन विभाग द्वारा वार्षिक योजना एवं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जायेगा।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में समानता के लिए प्रोत्साहन

6. विभागों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विभिन्न उप समूहों के समान विकास तथा इन समूहों के पिछड़ी हुयी बस्ती को केन्द्रित करते हुए योजनाऐं बनायी जायेंगी।

सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करना

7. विभागों द्वारा सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत भी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पात्रतानुसार लाभान्वित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना का गठन

8. नोडल विभाग से सूचना प्राप्त होने पर विभिन्न विभाग अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आंकलन करने के उपरान्त राज्य योजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना का गठन करेंगे।

उप योजनाओं का प्रेषण

9. प्रत्येक विभाग नोडल विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर समयावधि में अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना नोडल विभाग को राज्य समिति के परीक्षण एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

अध्याय – तीन

अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना का मूल्याकंन, निर्धारण तथा अनुमोदन

राज्य समिति द्वारा उपयोजना प्रस्तावों का परीक्षण

10. राज्य समिति द्वारा विभागों से अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के अन्तर्गत प्राप्त योजनाओं का परीक्षण इस अधिनियम में निर्धारित मानकों के सापेक्ष किया जायेगा।

अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के अन्तर्गत सम्मिलित योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था के मानक

11. राज्य समिति के द्वारा विभागों से प्राप्त प्रस्तुत अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना का मूल्यांकन निम्न मानकों के आधार पर किया जायेगा :

(क) ऐसी योजनाऐं, जिनका सम्पूर्ण लाभ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अथवा परिवार को मिलेगा, उन योजनाओं के लिए शत–प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के नामें डाला जायेगा;

(ख) ऐसी योजनाऐं, जिनका शत–प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ग्राम/बस्ती/रिहाईस/तोक/मजरा/वार्ड को मिलेगा, उन योजनाओं के लिए शत–प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था अनुसूचित जाति उप योजना/जनजाति उप योजना मद से की जायेगी। अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के अतिरिक्त अन्य ग्रामों में संचालित/क्रियान्वित किये जाने वाले ऐसे कार्यक्रम/योजनायें जिनका लाभ केवल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के समूह को प्राप्त होता है तो उन्हें भी लाभान्वित वर्ग के अनुसार अनुसूचित जाति उप योजना अथवा जनजाति उप योजना, जैसी स्थिति हो, के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा;

(ग) सामान्य योजनाओं में व्यय की जाने वाली ऐसी धनराशि, जिससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लाभान्वित होती है, में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की आनुपातिक जनसंख्या के आधार पर धनराशि अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उप योजना मद में डाली जायेगी;

(घ) अविभाज्य प्रकृति की योजनाओं में होने वाले व्यय में से अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना मद में दर्शायी जाने वाली धनराशि का निर्धारण नोडल विभाग द्वारा किया जायेगा।

राज्य समिति की संस्तुति

12. राज्य समिति द्वारा अधिनियम में उल्लिखित मानकों के अनुरूप प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया जायेगा ताकि विभाग बजट की प्रक्रिया पूर्ण करा सकें।

अध्याय – चार

बजट प्राविधान, वितरण तथा कियान्वयन संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

बजट निर्धारण

13. अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के लिए राज्य समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय/बजट को विभिन्न विभागों की सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत क्रमशः अनुदान संख्या 30 एवं 31 की मांग में सम्मिलित किया जायेगा।

वित्त विभाग में उप योजना हेतु पृथक अनुभाग

14. वित्त विभाग द्वारा इस अधिनियम में निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप बजट आंवटन तथा कियान्वयन के कार्यो को सम्पादित करने के लिए सरकार वित्त विभाग को, वित्त विभाग में उपलब्ध संसाधनों तथा निर्धारित प्रकिया के परिप्रेक्ष्य में जैसा उपयुक्त हो, सुदृढ़ करेगी।

बजट आंबटन

15. विधायिका द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार बजट पारित किये जाने के उपरान्त अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना मद में आय–व्ययक अनुमान में निर्धारित बजट को सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

अध्याय – पाँच

संस्थागत व्यवस्थाएं

राज्य समिति का गठन

16. (1) राज्य सरकार अधिसूचना से इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में ''राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना कार्यान्वयन एवं 'अनुश्रवण समिति' का गठन करेगी। राज्य समिति इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में निहित अधिकारों एवं कृत्यों का निष्पादन करेगी।

(2) राज्य समिति वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक करेगी।

राज्य समिति के कृत्य

17. राज्य समिति –

(क) राज्य सरकार को अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना से सम्बन्धित नीति विषयक परामर्श देगी;

(ख) विभागों को योजनाओं के गठन एवं क्रियान्वयन के लिए सुझाव देगी;

(ग) नोडल विभाग की सहायता से विभागों द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना प्रस्तावों का मूल्याकंन अधिनियम में

निहित प्राविधानों के अन्तर्गत करेगी;

(घ) विभागों की वार्षिक अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना प्रस्तावों का अनुमोदन करेगी;

(ङ) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगी;

(च) उप योजना के कियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों की पहचान तथा निराकरण के लिए सुझाव देगी;

(छ) ऐसे अन्य कार्य जो अपेक्षित हैं, को सम्पादित करेगी;

टिप्पणी – राज्य समिति के निर्देश समस्त विभागों के लिए बाध्यकारी होंगे।

नोडल विभाग

18. राज्य समिति को अपने अधिकारों के उपयोग तथा कार्यों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करने के लिए समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

नोडल विभाग के कृत्य

19. नोडल विभाग के निम्नलिखित कृत्य होंगे; अर्थात् –:—

(क) अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के गठन के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना;

(ख) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के अन्तर्गत विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए राज्य समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना;

(ग) एक विभाग से दूसरे विभाग में अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना परिव्यय का पुनर्विनियोग करना;

(घ) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के कियान्वयन, व्यय, परिणाम उपलब्धि आदि सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए वेबपोर्टल तैयार करना।

नोडल विभाग के सुदृढीकरण के लिए पृथक से प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई की स्थापना

20. राज्य समिति को सहायता प्रदान करने तथा निर्धारित कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य सरकार नोडल विभाग के स्तर पर अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ करेगी।

विभागों के स्तर पर उप योजना सहायता इकाई

21. राज्य समिति द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के लिए चिन्हांकित विभाग भी **"उप योजना सहायता इकाई"** का गठन आवश्यकतानुसार कर सकेंगे।

जिला स्तर पर अनुसूचित जाति उप योजना/ जनजाति उप योजना कियान्वयन

22. (1) राज्य सरकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति का गठन करेगी, जो जिले स्तर पर अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) प्रत्येक जनपद की "जिला योजना समिति" अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के क्रियान्वयन की सामयिक समीक्षा करेगी।

प्रभावी कियान्वयन के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण

23. सभी सम्बन्धित विभाग अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के प्रभावी कियान्वयन तथा समीक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने, स्टाफ की व्यवस्था करने तथा स्टाफ को निर्धारित प्रशिक्षण दिलाने आदि ऐसे उपाय करेगें जो राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय विभागीय इकाई के लिए आवश्यक है।

अध्याय – छः

अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के कियान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण

पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व

24. (1) प्रत्येक विभाग अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के कियान्वयन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेगा।

(2) प्रत्येक विभाग सूचनाओं को **जन उपयोगार्थ "पब्लिक डोमेन"** में स्थापित करेगा।

पुरस्कार एवं दण्ड

25. सरकार इस अधिनियम में निहित उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने वाले कार्मिकों एवं अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के अभिप्रेरण हेतु पुरूस्कार प्रदान करने तथा कार्य में समुचित परिश्रम न करने एवं उदासीनता बरतने वालों को दण्डित करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

26. नोडल विभाग अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के कियान्वयन के परिणाम, विभागवार प्रगति तथा सम्बन्धित वर्ष में अनुप्रयुक्त रह गयी धनराशि की वार्षिक रिपोर्ट मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत करेगा।

नियम बनाने की शक्ति

27. (1) राज्य सरकार, अधिनियम के अन्य प्राविधानों के अध्यधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के किन्हीं अथवा समस्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा; अर्थात् :–

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास में विषमता का निर्धारण;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के अधीन अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के परिव्यय का निर्धारण;

(ग) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना की योजनाओं का चिन्हाकंन तथा विभागों द्वारा उप योजनाओं का निर्माण;

(घ) नोडल विभाग के मूल्याकंन हेतु अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना बजट प्रस्तावों को तैयार करना;

(ङ) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के व्यय की समीक्षा हेतु वित्त विभाग का सुदृढ़ीकरण करना;

(च) राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के गठन तथा कृत्यों, राज्य समिति के गैर सरकारी सदस्यों की योग्यता, निर्योग्यता तथा मानदेय का निर्धारण करना;

(छ) राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के लिए नोडल विभाग नामित करना;

(ज) नोडल विभाग द्वारा "वेब पोर्टल" का रखरखाव;

(झ) नोडल विभाग में पृथक अनुसूचित जाति उप योजना/जनजाति उप योजना प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई की स्थापना;

(ञ) विभागों के स्तर पर उपयोजना सहायता इकाई की स्थापना;

(ट) जिला अनुश्रवण समिति का गठन तथा सम्बन्धित विषयों का निर्धारण;

(उ) प्रभावी कियान्वयन हेतु राज्य, जिला, विकास खण्ड स्तर पर संस्थान सुदृढ़ीकरण, जागरूकता, जनसम्पर्क कार्यक्रम तथा अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना की समीक्षा;

(ङ) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना कियान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की प्रक्रिया।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति

28. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश पारित किये जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन एवं अपवाद

29. (1) उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अध्यादेश, 2013 (अध्यादेश संख्या 02 वर्ष 2013) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट
प्रमुख सचिव।